महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

सतत रूप से विकसित भारत की ओर अग्रसर

10वीं वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा 2024-25

MCRL
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

10वीं वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा 2024-25

पंजीकृत कार्यालय:
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर,
ओड़िशा-768020

क्र.	विषय	पृष्ठा
1.	कंपनी की जानकारी, निदेशक मण्डल	3
2.	10वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	4-5
3.	निदेशकों के प्रतिवेदन	6-15
4.	ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय	16
5.	स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	17-26
6.	फॉर्म नं एमआर-3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	27-29
7.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पयणियाँ	30
8.	वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण।	32-80

कंपनी की जानकारी
वर्ष 2024-25 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष
श्री केशव राव

निदेशक
श्री ए. के. बेहुरा
श्री एस. के. सिन्हा
श्री रागनी आडवाणी
श्री पराग वर्मा
श्री एस. के. सेठी
श्री पी. आर. पाढ़ी

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति
श्री एस. के. नायक - सीईओ
श्री बी. के. परिदा - सीएफओ
श्री एस. के. बेहरा - सीएस

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स मिश्रा बधाई एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
संबलपुर, ओडिशा

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी,
संबलपुर, ओडिशा-768004

बैंकर
भारतीय स्टेट बैंक, संबलपुर
आईसीआईसीआई बैंक, भुवनेश्वर
एक्सिस बैंक लिमिटेड, संबलपुर

पंजीकृत कार्यालय
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, जागृति विहार,
बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020

10वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की 10वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 21 अगस्त 2025 को अपराह्न 10.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एमसीएल ऑफिस, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजित की गई।

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का लेखापरीक्षित तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की रिपोर्ट शामिल हैं।
2. श्री ए. के. बेहुरा (डीआईएन: 09712877) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।
3. श्री एस. के. सेठी (डीआईएन: 08403701) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-
(एस के बेहेरा)
कंपनी सचिव

टिप्पणी :

1. कॉर्पोरेट निकाय, दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने अथवा वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित बैठक में भागीदारी और मतदान के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने के हकदार हैं। इसलिए, कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें, जिसमें उनके प्रतिनिधि को वार्षिक आम बैठक से पूर्व या उसमें उपस्थित होने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
3. भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') ने 19 सितंबर 2024 के अपने परिपत्र संख्या 9/2024, जिसे इस विषय पर पहले जारी किए गए परिपत्रों (जिन्हें सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा जाता है) के साथ पढ़ा जाए के माध्यम से 30 सितंबर 2025 को या उससे पहले ('वीसी/ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी थी। इन परिपत्रों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति नहीं होगी।
4. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम बैठक परिपत्र के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए इस वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

5. अधिनियम की धारा 103 के अनुसार वार्षिक आम बैठक के लिए कोरम की गणना के प्रयोजनार्थ वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना की जाएगी।

6. कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करेगी। बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से तीस मिनट पहले खोली जाएगी और वार्षिक आम बैठक की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए रजिस्टरों और सूचना में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज वार्षिक आम बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज, इस सूचना के प्रसारित होने की तिथि से लेकर वार्षिक आम बैठक की तिथि तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cosecymcrl@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

8. जहां सदस्यों द्वारा मतदान की मांग की जाती है, वहां वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से उपस्थित सदस्य अपने वोट cosecymcrl@gmail.com पर भेजेंगे।

9. वार्षिक आम बैठक की सूचना और उपस्थिति पर्ची उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जाएगी जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत है, जब तक कि सदस्यों ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध नहीं किया हो। वार्षिक आम बैठक की सूचना और उपस्थिति पर्ची की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है।

10. जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर अपने ई-मेल पते पंजीकृत करा लें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते/ई-मेल आईडी में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरन्त कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दें।

12. किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य cosecymcrl@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं या नामित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। (संपर्क नंबर 9438877329)।

सदस्यगण:

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020. (उपस्थित: कंपनी सचिव, एमसीएल)।

2. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017. (उपस्थिति: कंपनी सचिव, इरकॉन) ।

3. ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, आईडीसीओ टॉवर, जनपथ, भुवनेश्वर - 22 (उपस्थिति: प्रबंध निदेशक, आईडीसीओ)

4. श्री एस.के. सिन्हा, महाप्रबंधक (सीएसआर), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020

5. श्री ए.के.बी. सिंह, महाप्रबंधक (पी एंड पी), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020

6. श्री पी.के. मिश्रा, महाप्रबंधक (एल एंड आर), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020

7. श्री सुरेन्द्र सिंह, ईडी इरकॉन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

लेखापरीक्षक:

1. मेसर्स मिश्रा बढ़ई एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बलांगीर, ओडिशा।

2. महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), ओल्ड निजाम प्लेस, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता - 700020

3. मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, संबलपुर, ओडिशा।

सभी निदेशक, एमसीआरएल

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, यह मेरा सौभाग्य और सम्मान है कि मैं आपकी कंपनी की 10वीं वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. संगठन:

ओडिशा राज्य में रेल गलियारा विकसित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, इस प्रकार, 64:26:10 की इक्विटी भागीदारी अनुपात के साथ महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के नाम से एक अलग कंपनी बनाने का विचार किया गया, जिसे 31 अगस्त, 2015 को शामिल किया गया। इस तरह का उद्यम कोयला खदानों के सामने आने वाली रसद चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से प्रशासनिक सहायता, रेलवे से तकनीकी सहायता और एमसीएल से वाणिज्यिक समर्थन प्राप्त करके तालमेल बनाता है। इसकी संकल्पना रेल अवसंरचना में निवेश तथा रेल गलियारे से बाहर यातायात से उत्पन्न राजस्व को साझा करके एक सहभागी व्यवसाय मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखने के लिए की गई है।

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आईडीसीओ की इक्विटी हिस्सेदारी ओडिशा सरकार (ओड़िशा सरकार) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के मूल्य के अनुरूप होगी या 10% जो भी अधिक हो। यदि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि का मूल्य इक्विटी के 10% से अधिक है, तो आईडीसीओ और एमसीएल की शेयरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित होगी। ओडिशा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि (राजस्व और वन भूमि) उपलब्ध कराएगी और ऐसी भूमि का मूल्य उसकी इक्विटी में समायोजित किया जाएगा। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रतिपूरक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन, वनों की कटाई और वन योजना के डायवर्सन प्रस्ताव के लिए अन्य शुल्क की लागत एमसीआरएल द्वारा वहन की जाएगी। रेलवे परियोजनाओं पर विशेषज्ञता रखने वाली इरकॉन के माध्यम से प्रारंभिक गतिविधियां संचालित करने तथा दो चरणों में निर्माण कार्य करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। एमसीआरएल, परिसंपत्तियों के रियायत, संचालन और रखरखाव के लिए रेल मंत्रालय के साथ अलग-अलग समझौते करेगा।

2. एमसीआरएल परियोजना का संक्षिप्त विवरण

अंगुल-बलराम-पुटुगाडिया-जरापाड़ा और एक चरण से तेंतुलोई (68 किमी) खंड को एमसीआरएल द्वारा 11.09.2015 को आयोजित अपनी पहली बोर्ड बैठक के दौरान अपनी पहली परियोजना के रूप में पहचान मिली। परियोजना में मुख्य रूप से 3 चरण शामिल हैं, (1) अंगुल-बलराम, (2) बलराम-पुटागडिया और (3) जरापाड़ा-पुटागडिया- तेंतुलोई । कॉरिडोर के अनगुल-बलराम हिस्से के लिए एमसीएल द्वारा भूमि पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। बलराम-पुटागड़िया और जरापाड़ा-पुटागड़िया-तेनतुलोई खंडों के लिए भूमि का अधिग्रहण रेलवे अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किया जा रहा है, क्योंकि संपूर्ण परियोजना को विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है।

3. कार्य निष्पादन की मुख्य विशेषताएं:

क) एमसीआरएल कार्यालय की स्थापना

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) प्लॉट संख्या ए/32, खारवेल नगर, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर स्थित 11 मंजिला ओएसएचबी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से अपना कार्यालय स्थानांतरित करने के बाद, जहां यह 01.02.2017 से 01.12.2024 तक ओडिशा राज्य के तालचेर क्षेत्र में कोयले की निकासी के लिए रेल कॉरिडोर के विकास हेतु कार्य कर रहा था, दिनांक 02.12.2024 से महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कार्यालय परिसर, प्रथम तल, एमसीएल कार्यालय भवन, प्लॉट संख्या जी - 3, गड़कना, पी.ओ - मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751017 में अपना कार्यालय संचालित कर रहा है।

ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

अंगुल-बलराम-पुटागड़िया-जरापाड़ा और तेंतुलोई तक एक चरण (लगभग 68 किमी) की डीपीआर को रेलवे बोर्ड द्वारा 27.10.2017 को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। पूर्वी तट रेलवे द्वारा डीपीआर को अंतिम मंजूरी 31.01.2018 को दे दी गई है। पूर्वी तट रेलवे के सीओएम ने 60% की बढ़ी हुई माइलेज की मंजूरी और रेलवे परियोजना के रूप में मंजूरी के लिए 29.01.2018 को रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। रेलवे से 60% की बढ़ी हुई

माइलेज और विशेष रेलवे परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है। परियोजना की कुल लागत मुद्रास्फीति, परियोजना प्रबंधन और निर्माण के दौरान ब्याज सहित 1,700 करोड़ रुपये है।

ख) भूमि

व्यापक गलियारे के लिए रेलवे, सड़क और पानी की पाइप को समायोजित करने हेतु आईडीसीओ ने मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की भूमि आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ओडिशा सरकार ने मई, 2015 को 6(1) अधिसूचना प्रकाशित की है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 21.03.2016 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केवल रेल लाइन तथा रख-रखाव/पहुंच मार्ग के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समायोजित करने के लिए भूमि की चौड़ाई कम की जाए। तदनुसार, नए सिरे से सर्वेक्षण किया गया है तथा संशोधित भूमि अनुसूची तैयार की गई है।

एमसीआरएल कॉरिडोर का पूरा संरेखण रणनीतिक रूप से मेसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की अधिसूचित भूमि सीमा के भीतर रखा गया है। अब चूंकि पूरी परियोजना को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 4171 दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के तहत रेलवे विशेष परियोजना घोषित किया गया है, इसलिए भूमि अधिग्रहण रेलवे अधिनियम (आरएए-2008) के तहत किया जा रहा है।

भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 0709 दिनांक 14 फरवरी, 2020 के माध्यम से धारा 7(ए) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को नामित किया गया है। 20ए राजपत्र अधिसूचना ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर के माध्यम से दिनांक 09.06.2022 को जारी की गई है। रेलवे अधिनियम (संशोधन) - 2008 के अंतर्गत 20ई राजपत्र अधिसूचना 23.05.2023 को प्रकाशित की गई है।

एमसीआरएल (68 किमी) की परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है; चरण- I (14 किमी) : अंगुल - बलराम खंड और चरण- II (54 किमी) : बलराम - पुटागड़िया - जरापाड़ा - तेंतुलोई खंड।

(i) चरण-I की भूमि अधिग्रहण स्थिति:-

भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और अंगुल-बलराम रेल संपर्क दिनांक 14.11.2022 से चालू हो गया है।

(ii) पूर्वी तटीय रेलवे को सौंपने से पहले चरण-II की भूमि अधिग्रहण स्थिति: -

इसके समानांतर, इरकॉन ने चरण-II के लिए भूमि अधिग्रहण का पर्याप्त हिस्सा भी पूरा कर लिया है, जो इस प्रकार है:-

ए) किरायेदारी भूमि:-

रेलवे अधिनियम (संशोधन)-2008 के अंतर्गत 202.42 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

रेलवे अधिनियम (संशोधन) - 2008 के अंतर्गत 20A राजपत्र अधिसूचना 10.06.2022 को प्रकाशित की गई है।

रेलवे अधिनियम (संशोधन) - 2008 के अंतर्गत 20ई राजपत्र अधिसूचना 23.05.2023 को प्रकाशित की गई है।

भूमि के मुआवजे के निर्धारण से पूर्व धारा 20एफ (4) एवं (5) का समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 21.06.2023 को किया गया है।

हालाँकि, इस परियोजना को पूर्वी तटीय रेलवे ने अपने हाथ में ले लिया है।

बी. वन भूमि :-

125.355 हेक्टेयर (310 एकड़) वन भूमि के लिए अंतिम/चरण-II वन मंजूरी 22.02.2023 को प्राप्त हो गई है। ओएफडीसी द्वारा पेड़ों की कटाई से पहले पेड़ों की गणना का काम चल रहा है। हालाँकि, इस परियोजना को पूर्वी तटीय रेलवे ने अपने अधीन ले लिया है।

सी. सरकारी भूमि:-

कलेक्टर, अनगुल ने 27.01.2023 को ओडिशा सरकार को भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भेजा है। ओडिशा सरकार ने 01.02.2023 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और कलेक्टर, अनगुल को 42.10 हेक्टेयर भूमि के लिए भूमि हस्तांतरण और कार्य करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। हालाँकि, परियोजना को पूर्वी तटीय रेलवे ने अपने अधीन कर लिया है।

घ) चरण-I और चरण-II को पूर्वी तट रेलवे को हस्तांतरण:-

इस बीच, माननीय रेल मंत्री और माननीय कोयला मंत्री द्वारा 22.02.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रस्ताव रखा गया कि एसपीवी मोड में एमसीआरएल चरण- II को निर्माण के लिए रेलवे को सौंपने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी), एमसीएल ने पत्र संख्या एमसीएल/निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी)/2023/219-(i)-ई दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से जीएम/ईसीओआर से उपरोक्त बैठक के आधार पर चरण- II के कार्यान्वयन पर विचार करने का अनुरोध किया।

तदनुसार, जीएम/ईसीओआर ने रेलवे बोर्ड से डीओ पत्र संख्या सीएओ/कॉन/बीबीएस/पीएलजी./01 दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से एसपीवी से चरण- II के निर्माण के लिए

परियोजना और चरण- । सहित परियोजना के संपूर्ण प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 2022/W-H/ECoR/DL/SY/21 (ई-फाइल संख्या 3432702) दिनांक 08.06.2023 के माध्यम से एमसीआरएल आंतरिक कॉरिडोर चरण ॥ और चरण । के दोहरीकरण के लिए अंतिम सर्वेक्षण (एफएलएस) हेतु मंजूरी दे दी है।

दिनांक: 13.06.2023 को सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान, इस मुद्दे पर चर्चा की गई और इरकॉन को एमसीआरएल के चरण ॥ का निर्माण, रेलवे को सौंपने के निर्णय के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा, ईडी/इन्फ्रा-I, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2015/इन्फ्रा/12/2 पं. दिनांक 12.07.2023 में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड (सीआरबी और सीईओ, एमआई एंड एमई) ने रेल मंत्रालय के वित्त पोषण के माध्यम से बलराम - पुटागड़िया - तेंतुलोई (54 किमी), एमसीआरएल चरण- ॥ का निर्माण कार्य अपने हाथ में लेने की मंजूरी दे दी है।

पूर्वी तटीय रेलवे ने अपने पत्र संदर्भ संख्या सीई/कॉन/IV/बीबीएस/इनर कॉरिडोर/एमसीआरएल/स्पेशल दिनांक 13.07.2023 के माध्यम से अनुरोध किया है कि उपरोक्त कार्य से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज/ड्राइंग (सॉफ्ट कॉपी के साथ) पूर्वी तटीय रेलवे को सौंप दिए जाएं। इरकॉन ने अपने पत्र संख्या इरकॉन/2069/एमसीआरएल/रेलवे/02/184 दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से संबंधित दस्तावेज सौंप दिया है।

इसके अलावा, दिनांक:22.08.2023 को सीटीपीएम/ईकोआर ने एमसीआरेल अधिकारियों के साथ एमसीआरएल चरण ॥ को रेलवे द्वारा अपने अधीन लेने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यह टिप्पणी की गई कि एमसीआरएल चरण- ॥ को रेलवे द्वारा अपने अधीन लेने का निर्णय नीतिगत निर्णय के रूप में मंत्री स्तर पर लिया गया है। इस कार्य में न तो एमसीआरएल और न ही रेलवे ने कोई चूक की है। दिनांक 22.08.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन एमसीआरएल द्वारा दिनांक 07.09.2023 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार, यह प्रस्ताव किया गया कि एमसीआरएल द्वारा चरण-॥ के लिए किए गए लगभग 82.0 करोड़ रुपये के व्यय, जिसमें निवेश पर 12% प्रति वर्ष की दर से उचित रिटर्न शामिल है, की प्रतिपूर्ति रेलवे द्वारा चरण-॥ को अपने हाथ में लेने के लिए की जा सकती है, तथा इसके लिए पूर्व तटीय रेलवे और एमसीआरएल के बीच हस्ताक्षरित रियायत समझौते में निर्धारित सभी कानूनी नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा।

एमसीआरएल ने पत्र संख्या एमसीआरएल/बीबीएसआर/सीईओ/बलराम-पुटागड़िया-जरापड़ा-तेनतुलोई/2023-24/102 दिनांक 23.11.2023 के माध्यम से ईसीओआर, भुवनेश्वर से अनुरोध किया है कि एमसीआरएल बोर्ड ने 25.10.2023 को आयोजित अपनी 37वीं बोर्ड बैठक के दौरान चरण-॥ बलराम-पुटागड़िया-जरापड़ा-तेनतुलोई (54 किमी) को रेलवे द्वारा अपने अधीन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें रेलवे द्वारा एमसीआरएल को पूंजी निवेश के लिए परियोजना पर किए गए पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ वास्तविक वसूली तक उस पर 12% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) की दर से गणना के अनुसार रिटर्न दिया जाएगा।

एमसीआरएल ने पत्र संख्या: एमसीआरएल/बीबीएसआर/सीईओ/पीएच-I अनगुल-बलराम/2023-24/103 दिनांक: 24.11.2023 के माध्यम से ईसीओआर के द्वारा रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है कि वह पूर्ण हो चुकी अंगुल-बलराम एकल रेल लाइन (14 किमी) एमसीआरएल चरण-I परियोजना को रेलवे द्वारा अपने हाथ में लेने पर विचार करे।

पूर्व तटीय रेलवे ने पत्र संख्या: पीसीओएम/पीएलजी/बीबीएस/एमसीआरएल/अनगुल-जरापड़ा/535/पी.टी.I दिनांक: 16.01.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि रेलवे बोर्ड ने चरण-I एमसीआरएल परियोजना को अपने हाथ में लेने और रेलवे और एमसीआरएल के बीच हस्ताक्षरित रियायत समझौते को बंद करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है।

इस संबंध में दिनांक 23.01.2024 को 16.00 बजे पीसीओएम के मीटिंग हॉल, ईसीओआर, भुवनेश्वर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा के बाद, एमसीआरएल ने एमसीआरएल के पत्र संख्या: एमसीआरएल/ बीबीएसआर/सीईओ/बलराम-पुटागाडिया-जरापड़ा-तेंतुलोई/2023-24/135 दिनांक: 13.02.2024 के माध्यम से एमसीआरएल चरण-I का कार्यभार संभालने के लिए ईसीओआर से अनुरोध किया है।

एमसीआरएल ने दिनांक 17.02.2024 के पत्र संख्या एमसीआरएल/बीबीएसआर/सीईओ/अंगुल-बलराम-पुटागड़िया-जरापाड़ा-तेनतुलोई/चरण-I और II/2023-24/137 के माध्यम से 23.01.2024 को आयोजित बैठक के दौरान चर्चा की गई आवश्यकताओं का अनुपालन भी किया है, जिसमें चरण-I और चरण-II कार्य के लिए किए गए/किए जाने वाले अनंतिम व्यय का विवरण, 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और दिसंबर 2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न किया गया है। विवरण के अनुसार, चरण-I की पूंजी लागत 345.45 करोड़ रुपये है, और चरण-II की 87.09 करोड़ रुपये है, कुल मिलाकर 432.54 करोड़ रुपये है और 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज राशि 108.79 करोड़ रुपये है।

यह समझा गया कि पूर्व तटीय रेलवे एमसीआरएल चरण-I और चरण-II के अधिग्रहण के लिए लागत की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय आंकड़े प्राप्त करने हेतु एक समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसे रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

पूर्व तटीय रेलवे ने दिनांक 03.05.2024 के पत्र के माध्यम से एमसीआरएल से रेलवे द्वारा उठाए गए बिंदुओं के अनुपालन के लिए कहा।

पूर्व तटीय रेलवे ने दिनांक 13.05.2024 के पत्र के माध्यम से पूंजीगत लागत प्रतिपूर्ति लंबित रहने तक आबंटित आय की समाप्ति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

एमसीआरएल ने दिनांक 17.05.2024 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि पूर्व तटीय रेलवे द्वारा चरण-I और चरण-II का कार्यभार संभालने पर, एमसीआरएल के अध्यक्ष के अनुमोदन से पूंजीगत लागत और ब्याज की प्रतिपूर्ति के निपटान तक, आबंटित आय को रोक दिया जाएगा।

एमसीआरएल ने दिनांक 25.05.2024 के पत्र के माध्यम से पूर्व तटीय रेलवे के दिनांक 03.05.2024 के पत्र का अनुपालन किया।

डिप्टी एफए और सीएओ/ पूर्व तटीय रेलवे के दिनांक 28.06.2024 के पत्र में एमसीआरएल के दिनांक 25.05.2024 के पत्र पर स्पष्टीकरण मांगा गया।

पूर्व तटीय रेलवे ने 28.06.2024 के पत्र के माध्यम से एमसीआरएल से भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को 166.20 करोड़ रुपये का भुगतान करने का अनुरोध किया।

एमसीआरएल के अध्यक्ष ने दिनांक 02.07.2024 के पत्र के माध्यम से जीएम, पूर्व तटीय रेलवे से लंबित पूंजी प्रतिपूर्ति के चरण- I और II के कार्यभार को शीघ्रता से लेने का अनुरोध किया और ब्याज का दावा किया।

पूर्व तटीय रेलवे ने दिनांक 17.07.2024 के पत्र के माध्यम से आरबी से अनुरोध किया कि वह एक पूरक समझौते में प्रवेश करके पूंजी प्रतिपूर्ति लंबित एमसीआरएल एसपीवी को अपने नियंत्रण में ले ले।

एमसीआरएल ने दिनांक 19.07.2024 के पत्र के माध्यम से उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (टी) के दिनांक 28.06.2024 के पत्र का अनुपालन किया।

एमसीआरएल ने दिनांक 19.08.2024 को पत्र लिखकर पूर्व तटीय रेलवे को चरण-I और II का कार्य शीघ्रता से करने का स्मरण कराया।

पूर्व तटीय रेलवे ने दिनांक 19.09.2024 के पत्र के माध्यम से एमसीआरएल द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के प्रमाणीकरण के लिए ईसीओआर द्वारा नियोजित फर्म से विवरण मांगा।

एमसीआरएल ने दिनांक 24.09.2024 के पत्र के माध्यम से पूर्व तटीय रेलवे के दिनांक 19.09.2024 के पत्र का अनुपालन किया।

ईसीओआर ने दिनांक 15.10.2024 के पत्र के माध्यम से आरबी को 30.06.2024 तक 4010.93 लाख रुपये के पूंजीगत व्यय की सूचना दी और इसके आगे किया गया कोई भी व्यय अनुपूरक व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

एमसीआरएल ने पूर्व तटीय रेलवे को दिनांक 25.10.2024 के पत्र के माध्यम से एमसीआरएल को पूर्व तटीय रेलवे द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए विचार करने के लिए 30.09.2024 को 58.18 लाख रुपये के परिचालन नुकसान का दावा किया।

एमसीआरएल ने दिनांक 17.05.2025 के पत्र के माध्यम से एमसीआरएल चरण-I और II के 31.03.2025 तक के पूंजीगत व्यय के प्रमाणीकरण के लिए पूर्व तटीय रेलवे को 40160.80 लाख रुपये और 18843.10 लाख रुपये के ब्याज के साथ कुल 59003.90 लाख रुपये का भुगतान किया।

पूर्व तटीय रेलवे के दिनांक 28.05.2025 के पत्र द्वारा आरबी को एमसीआरएल के दिनांक 17.05.2025 के दावे अग्रेषित किए गए।

ड.) चरण-I परियोजना का रखरखाव: -

एमसीआरएल ने इरकॉन के माध्यम से दिनांक 14.11.2023 से 29.02.2024 तक चरण I का रखरखाव किया।

इसके अलावा, 38वें एमसीआरएल निदेशक मंडल के मद संख्या 38.5 में लिए गए निर्णय के आधार पर एमसीआरएल के दिनांक 12.12.2023 के अनुरोध पत्र के अनुसार दिनांक. 01.03.2024 से अनगुल-बलराम एमसीआरएल परियोजना चरण- I का रखरखाव भी पूर्व तटीय रेलवे द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। इसके अलावा, इरकॉन ने अतिरिक्त/अतिरिक्त पी. वे सामग्री सहित ट्रैक को भौतिक रूप से पूर्व तटीय रेलवे को सौंप दिया है।

च) राजस्व आबंटन की स्थिति:-

वर्ष 2024-25 के दौरान, जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के महीने के लिए 2,08,31,420/- रुपये का पहला उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक 29.04.2024 को प्राप्त हुआ और जनवरी 2024 से मार्च 2024 के महीने के लिए 3,47,38,886/- रुपये का दूसरा उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक 05.06.2024 को प्राप्त हुआ। अप्रैल 24 के महीने के लिए 1,80,29,490/- रुपये का तीसरा उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक 25.07.2024 को प्राप्त हुआ और सितंबर 23 और

अक्टूबर 2023 के महीने के लिए 2,49,33,001/- रुपये का चौथा उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक 27.08.2024 को प्राप्त हुआ। नवंबर 2022 से मार्च 2024 के महीने के लिए दिनांक 05.09.2024 को 3,71,93,887/- रुपये का जीएसटी आवंटन प्राप्त हुआ। नवंबर 2023, दिसंबर 2023 और मई 2024 के महीने के लिए 4,31,30,682/- रुपये का पांचवां उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक 25.09.2024 को प्राप्त हुआ।

जून 2024 से अगस्त 2024 माह के लिए 6,05,75,028/- रुपये का 6वां उपयोगकर्ता शुल्क 26.11.2024 को प्राप्त हुआ। सितंबर 2024 और अक्टूबर 2024 माह के लिए 3,48,23,472/- रुपये का 7वां उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक 27.01.2025 को प्राप्त हुआ।

नवंबर 2024 माह के लिए 1,79,98,903/- रुपये का 8वां उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक 17.02.2025 को प्राप्त हुआ था। दिसंबर 2024 माह के लिए 1,87,59,205/- रुपये का 9वां उपयोगकर्ता शुल्क दिनांक 07.03.2025 को प्राप्त हुआ था।

दिनांक 01.04.2024 से 31 मार्च 2025 तक पूर्व तट रेलवे से प्राप्त संचयी राजस्व आवंटन कुल 31,10,13,974/- रुपये है और इसे सावधि जमा में निवेश किया गया है।

छ) पूंजी संरचना:

कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी 100,00,00,000/- रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) है, जो 10 रुपये प्रति शेयर के 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। दिनांक: 31.03.2025 तक कंपनी की चुकता पूंजी 90,00,50,000/- रुपये है।

प्रवर्तक कम्पनियों की इक्विटी शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

क्र.	प्रमोटर कंपनी का नाम	31.03.2025 तक शेयरधारिता पैटर्न	31.03.2024 तक शेयरधारिता पैटर्न
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	71.107%	71.107%
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	28.887%	28.887%
3	ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	0.006%	0.006%
	कुल	100%	100%

4. वित्तीय परिणाम:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं:

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
(लाख रुपये में)	
वर्ष के लिए आय	2716.82
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को छोड़कर वर्ष के लिए व्यय	1402.29
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय से पहले लाभ या हानि	1314.53
घटाव: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1014.71
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के बाद लेकिन कर से पहले लाभ या हानि	299.82
घटाव: चालू कर	0.00
घटाव: कर व्यय (आस्थगित कर)	(25.78)
कर के बाद लाभ या हानि	274.04

परियोजना के चरण-1 को रेलवे द्वारा दिनांक: 21.08.2023 को व्यावसायिक रूप से अधिसूचित किया गया है और राजस्व साझाकरण सितंबर 2023 से शुरू हुआ (नवंबर, 2022 से अर्जित), चरण-1 से संबंधित व्यय को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया गया है। परियोजना के चरण- II की परिचालन गतिविधियां अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परियोजना के चरण-2 के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, को पूंजीकृत कर दिया गया है और अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों को "लाभ और हानि विवरण" में शामिल कर दिया गया है। कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (धारक कंपनी) और इरकॉन से 29250 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण लिया है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 की शर्तों तथा सुसंगत अधिनियम के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए और लागू होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत भारत में स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्त (इंडियन जी.ए.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक, को यदि प्रारंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो, तो लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा सभी नवीनतम आधार पर जारी किए गए या संशोधित लेखा मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के स्टैंडअलोन लेखा परीक्षाओं के वित्तीय परिणाम का खुलासा तिमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता है।

5. लाभांश:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

6. आरक्षित निधियाँ:

कंपनी ने रिज़र्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की।

7. राजकोष में योगदान: शून्य।

8. सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियां:

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की सहायक कंपनी है और इसकी कोई सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

9. जमा :

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत परिभाषित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

10. जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उसके नियंत्रण को उचित महत्व दिया जाता है, क्योंकि अंतर्निहित जोखिम के कारण, बाह्य और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं। प्रबंधन सभी महत्वपूर्ण कारकों पर निरंतर निगरानी रखता है।

11. संबंधित पक्ष लेनदेन:

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन निष्पक्ष आधार पर तथा व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया गया है, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो।

12. ऋण गारंटी या निवेश का विवरण:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) के अनुसार वित्तीय विवरणों में किए गए निवेश, दिए गए ऋण या दी गई गारंटी या प्रदान की गई सुरक्षा के पूर्ण विवरण का खुलासा करना आवश्यक है और जिस उद्देश्य के लिए ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग ऋण या गारंटी के प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उसका खुलासा किया जाता है।

13. सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति:

एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी की गतिविधियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता केंद्रीय जाँच ब्यूरो आदि के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली होती हैं।

14. लेखा परीक्षक:

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त अनुरोधों से निपटने के लिए संगठन में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी का आंकड़ा शून्य है।

15. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क्यू), धारा 143(3)(i) के साथ कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(viii) के अंतर्गत सूचना

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क्यू), धारा 143(3)(i) के साथ कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(vii) के तहत सूचना, नियामकों

या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों के संबंध में, जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया, जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करेगा।

17. सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अनुसार, कंपनी के लिए सीएसआर समिति की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने अब तक घाटा दर्ज किया है। तदनुसार, सीएसआर व्यय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसलिए, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ शामिल नहीं की गई है।

18. निदेशकों द्वारा वैधानिक प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

19. धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य नहीं

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

20. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

बोर्ड कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने की प्रक्रिया में है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के नियम 13 (ए) के अनुसार यौन उत्पीड़न विरोधी नीति भी तैयार कर रहा है।

इस नीति के अंतर्गत सभी कर्मचारी शामिल होते हैं। यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड को वर्ष 2024-25 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

21. लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

22. निगमित शासन

कंपनी का प्रबंधन सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन करती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के लिए जारी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

23. वर्ष के दौरान दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी भी कार्यवाही का विवरण, वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के सहित

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है/लंबित नहीं है जो कंपनी के कारोबार को भौतिक रूप से प्रभावित करती है।

24. लेखा परीक्षकगण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, निम्नलिखित लेखा परीक्षक फर्म को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था:

मेसर्स मिश्रा बढ़ई एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, संबलपुर, ओडिशा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के तहत, वर्ष 2024-25 के सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित फर्म को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था: -

मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सेक्रेटरी, बिल्डिंग नंबर एफ/3, सहयोग नगर, बुढ़ाराजा, संबलपुर, ओडिशा-768004

25. निदेशक मंडल:

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल में 07 (सात) सदस्य हैं, अर्थात जिनमें एमसीएल के नामित अध्यक्ष और 02 (दो) निदेशक, इरकॉन के नामित 02 (दो) निदेशक, आईडीसीओ के नामित 01 (एक) निदेशक और रेल मंत्रालय के नामित 01 (एक) निदेशक शामिल हैं।

दिनांक 31.03.2025 तक निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

कमांक	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री केशव राव	अध्यक्ष	01.11.2023
2.	श्री अजीत कुमार बेहुरा	निदेशक	01.11.2023
3.	श्री एस. के. सिन्हा	निदेशक	21.07.2023
4.	श्री रागनि आडवाणी	निदेशक	26.05.2022
5.	श्री पराग वर्मा	निदेशक	21.07.2023
6.	श्री एस. के. सेठी	निदेशक	01.11.2023
7.	श्री पी. पाढ़ी	निदेशक	09.05.2022

26. बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की छह (06) बैठकें दिनांक: 15.04.2024, 12.07.2024, 22.07.2024, 10.10.2024, 09.10.2024 और 09.01.2025 को होंगी। वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.	निदेशकों का नाम	श्रेणी	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1	श्री केशव राव	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	6
2	श्री अजीत कुमार बेहुरा	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	6
3	श्री एस. के. सिन्हा	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	6
4	श्री रागनि आडवाणी	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	4
5	श्री पराग वर्मा	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	3
6	श्री एस. के. सेठी	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	2
7	श्री पी. पाढ़ी	गैर-कार्यकारी निदेशक	6	1

27. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के साथ कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) के अनुसार जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

28. कर्मचारी पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत सूचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार दी गई सूचना आपकी कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि कंपनी में कोई भी कर्मचारी 5,00,000/- रुपए प्रतिमाह या 60,00,000 रुपए प्रतिवर्ष या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा प्राप्त राशि से अधिक नहीं प्राप्त कर

रहा है तथा वह स्वयं या अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का कम से कम दो प्रतिशत हिस्सा रखता है।

29. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है कि:-

क) दिनांक.31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है (लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियों को छोड़कर) साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

घ) निदेशकों ने दिनांक. 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को 'गोइंग कंसर्न' आधार पर तैयार किया है।

ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ये प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

30. बैंकर का नाम और पता:

क्र.	नाम	शाखा पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर।
2	आईसीआईसीआई बैंक	सचिवालय मार्ग, बर्मा नगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर - 751001
3	एक्सिस बैंक	बुढ़ाराजा, संबलपुर

31. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाः

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न हैं।

32. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां और उनसे संबंधित प्रासंगिक टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट संलग्न है।

33. वार्षिक प्रतिफल का सार:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार वार्षिक प्रतिफल (फॉर्म संख्या एमजीटी-7) एमसीएल की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड किया गया है: http://www.mahanadicoal.in/Financial/anual_report.php

34. अभिस्वीकृति :

आपके निदेशक, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम से प्राप्त सहयोग, बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना करते हैं। आपके निदेशकगण, जिला प्रशासन तथा उन सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते

हैं, जिन्होंने रेल कॉरिडोर के विकास के लिए समय-समय पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान किया है।

आपके निदेशकगण सभी शेयरधारकों को उनके निरंतर सहयोग तथा प्रबंधन पर विश्वास बनाए रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद तथा शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण अब तक की प्रगति तथा वास्तविकता के करीब पहुंचने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों और सहयोगियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

आपके निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला) तथा कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

35.परिशिष्ट:

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

क) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में जानकारी (अनुलग्नक-I)।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, (अनुलग्नक-II)।

ग) सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक-III)।

घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी, (अनुलग्नक-IV)।

हस्ताक्षर/-
(केशव राव)
अध्यक्ष

दिनांक: 13/08/2024
स्थान: संबलपुर

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के तहत सूचना, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित तथा निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।)

क) ऊर्जा संरक्षण-

(i) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव: शून्य

(ii) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम: शून्य

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश: शून्य

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण -

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास: शून्य

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ: शून्य

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) - : शून्य

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: शून्य

ग) - विदेशी मुद्रा आय और व्यय -

कंपनी का गठन 31 अगस्त, 2015 को हुआ है और विदेशी मुद्रा आय या व्यय के संबंध में कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

(रु. लाख में)

विवरण	**2024-25**
कुल प्राप्त विदेशी मुद्रा (निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य)	-
कुल प्रयुक्त विदेशी मुद्रा ::	-
i) कच्चा माल	-
ii) उपभोज्य भंडार	-
iii) पूंजीगत सामान	-
iv) विदेश यात्रा	-
v) अन्य	-

अनुलग्नक-।।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

मत

हमने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है,जिसमें 31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं (एतत्पश्चात "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, हमारी मत में, हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, आवश्यक वित्तीय विवरणों की जानकारी को सत्य और निष्पक्ष रूप में देते हैं तथा 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और इसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा किया है। हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों में उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम यह मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

इस पर वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारियां

- कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक के साथ साथ बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी भी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण विवरण ग़लत है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए प्रतिबंद्ध है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति सुनिश्चित करें, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय

प्रदर्शन, इक्विटी में हुए परिवर्तनों और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों। यह तैयारी एवं प्रस्तुति भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार की जाती है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानक तथा उसके अंतर्गत जारी प्रासंगिक नियम शामिल हैं।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण भी शामिल है, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान की जा सके। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं उनका अनुप्रयोग; ऐसे आकलन एवं अनुमान करना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन एवं संधारण करना भी इस जिम्मेदारी का हिस्सा है, ताकि लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, और जिससे यह सुनिश्चित हो कि वित्तीय विवरण सच्चे और निष्पक्ष हों तथा उनमें किसी प्रकार की भौतिक त्रुटि (चाहे वह धोखाधड़ी से हो या भूलवश) न हो।

वित्तीय विवरणों की तैयारी के दौरान, प्रबंधन एवं निदेशक मंडल की यह जिम्मेदारी है कि वे कंपनी की सतत व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करें, तथा आवश्यकता अनुसार इससे संबंधित विषयों का प्रकटीकरण करें और सतत व्यवसाय आधार पर ही लेखांकन का प्रयोग करें। यह तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि प्रबंधन का कंपनी का परिसमापन करने या उसका संचालन बंद करने का न हो, अथवा उनके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई यथार्थपरक विकल्प उपलब्ध न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानक के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा गलत विवरण का पता लगायेगी। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत या पूर्ण रुप से यह इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

अंकेक्षण मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम वृत्तिक निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखापरीक्षा के दौरान वृत्तिक लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम भी :

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते है, चाहे यह धोखेबाजी या त्रुटि के कारण ही क्यो न हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादित करते है और लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते है जो हमारे राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित होते है। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिक है,क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की, समझ प्राप्त करते है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इसपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस तरह के नियंत्रणों का संचालन की प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित क्या ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है, जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित

करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू समुत्थान के रुप में बने रहने में कठिनाई भी हो सकती है।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का घोषणा सहित मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता का अर्थ वित्तीय विवरणों में ऐसी त्रुटियों या गलत बयानों की परिमाण (मात्रा) से है, जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि वित्तीय विवरणों के एक सामान्यत: जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना हो।हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों, दोनों पर विचार करते हैं–

(i) अपने लेखा परीक्षण कार्य के दायरे की योजना बनाने और उसके परिणामों का मूल्यांकन करने में, तथा

(ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई किसी भी त्रुटि या गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन विधि के लोगों को अपने वक्तव्य द्वारा आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदनः

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के उप खंड(11) के संबंध में, हम "अनुलग्नक- 1" में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर "अनुलग्नक-2" में दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है, के तहत हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैः

i. हमने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरुरी तथा भरोसेमंद थे।

ii. हमारी राय में, कंपनी द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

iii. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, संबंधित बहियों के अनुरूप हैं।

iv. हमारे मत में, उपरोक्त वित्तीबय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम,2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

v. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयद्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नातेहमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

vii. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

क. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी पर कोई

भी मुकदमा लंबित नहीं है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हो।

ख. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को निधि में अंतरित करने में विलंब नहीं होती है।

घ. जैसा कि कंपनी द्वारा हमें जानकारी दी है, कंपनी के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसमें भौतिक पूर्वानुमानित हानि हो, इसलिए कंपनी ने ऐसी हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

(iv) क. प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के खातों की टिप्पणियों,यदि कोई हो, में किए गए वर्णन के अलावा कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धन राशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से चिन्हित किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान नहीं की गई है ।

ख. प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वित्तीय विवरणों के लेखा खातों की टिप्पणियों, यदि कोई हो, में वर्णन के अलावा शाखा द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से चिन्हित किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान नहीं करेगी।

ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और जैसा कि उप-खण्ड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

(v) कंपनी ने इस अवधि के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है। अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनी अधिसूचना संख्या GSR463(E), दिनांक 5 जून 2015 पर लागू नहीं होते हैं।

हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, के आधार पर ,कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा-बही के रखरखाव हेतु एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। नमूना जाँच के आधार पर सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है।

कृते मिश्रा बढ़ाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
FRN:320053E

स्थान :संबलपुर
दिनांक: 11/04/2025
UDIN: 25054940BMIXTC7347

ह/-
[एस. के. बढ़ई]
साझेदार
M. No. 054940

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसार महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि-

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में

क. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति एवं संपत्ति के उपयोग के अधिकार की प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा संपत्ति के उपयोग के अधिकार का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई एवं हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई शीर्षक विलेख नहीं है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च 2023 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii)

क. कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. कंपनी को रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान किसी भी समय, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों में निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जिसके संबंध में:

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अन्य संस्था को ऋण या स्थायी गारंटी के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋण प्रदान करने के नियम और शर्तें मुख्य दृष्टया हैं, जो कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

ग. स्वीकृत ऋणों के संबंध में, मूलधन की अदायगी और ब्याज के चुकौती की समय-सारणी निर्धारित की गई है और मूलधन का भुगतान और ब्याज की प्राप्तियां आमतौर पर नियमानुसार नियमित होती हैं।

घ. कंपनी द्वारा स्वीकृत ऋणों के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

ङ. कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण जो वर्ष के दौरान देय हो गया है या एक ही पार्टी को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए दिए गए विस्तारित या नए ऋण का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए खंड 3(iii)(f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कंपनी ने कंपनियों,फर्मों सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम राशि नहीं दी है।

iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में :

क. हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशियों जो उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उस पर लागू होते हैं, को जमा करने में नियमित रही है।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में 31 मार्च, 2025 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है ।

(viii) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

क. कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ङ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x)

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi)

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई भी रिपोर्ट कंपनी (ऑडिट और

ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और उससे पहले तक दाखिल नहीं की गई है।

ग. कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii) कंपनी, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन करने वाली कंपनी होने के नाते भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुच्छेद 26 के तहत आवश्यक विशिष्ट विवरणों का खुलासा किया है।

xiv)

क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है;

ख. हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैरा 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए पूर्व-संचालन खर्चों के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix) वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन पत्र की तिथि में मौजूद अपनी देनदारियों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियां गिरावट के कारण कंपनी द्वारा खारिज कर दी गई हैं।

xx) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते मिश्रा बढ़ाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
FRN:320053E

ह/-
[एस. के. बढ़ाई]
साझेदार
M. No. 054940

स्थान :संबलपुर
दिनांक: 11/04/2025
UDIN: 25054940BMIXTC7347

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - 2

वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देश और अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

क्र.	विवरण	लेखा परीक्षकों का जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, वर्णित किया जाए।	कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। इसने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने खातों को बनाए रखा है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण /बट्टे खाते में ऋण/ऋण/ ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा कोई पुनर्गठन/ छूट/बट्टे खाते में ऋण/उधार/ ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।

कृते मिश्रा बढ़ाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
FRN:320053E

स्थान :संबलपुर
दिनांक: 11/04/2025
UDIN: 25054940BMIXTC7347

ह/-
[एस. के. बढ़ाई]
साझेदार
M. No. 054940

स्वतंत्र लेखापरीक्षको की रिपोर्टके लिए अनुलग्नक-3

कंपनी अधिनियम,2013("अधिनियम") की धारा 143 के उप-खण्ड 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदन(रिपोर्टिंग) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

31 मार्च, 2025 कंपनी के रूप में महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम,2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना,अपनी संपत्ति की सुरक्षा,धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किये गये लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिंम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएः

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से,नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित,त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ हीभविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता हैं।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च, 2025 के अनुसार ऐसे वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

कृते मिश्रा बढ़ाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
FRN:320053E

स्थान :संबलपुर
दिनांक: 11/04/2025
UDIN: 25054940BMIXTC7347

ह/-
[एस. के. बढ़ाई]
साझेदार
M. No. 054940

अनुलग्नक - III

फॉर्म नं एमआर-3
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड,
पोस्ट - जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओड़िशा - 768020
भारत

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (तत्पश्चात इसे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा निगमित प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया। सचिवीय लेखा परीक्षण इस तरीके से किया गया था जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु उचित आधार मिला।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी उसके अधिकारियों, द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर हम एद्त द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखा परीक्षण अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा और विषय के अनुसार उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

1. हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्यव अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार की:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके तहत बनाये गए नियम।

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम, निर्दिष्ट अनुभागों की सीमा तक अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए ;

(iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाये गए नियम ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के तहत निर्धारित अधिनियम व दिशा निर्देश ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(vii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम, 2011 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंध) विनियमन, 1992 - ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(ix) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) विनियमन, 2009; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(x) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999- समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xii) कंपनी अधिनियम व पक्षकारों के साथ निपटान संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) विनियमन, 1993 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xiii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियमन 2009 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xiv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति का बायबैक) विनियमन 1998 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

2. हमने कंपनी पर लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी पर लागू प्रमुख अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की सूची निम्नानुसार है:

क) फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 ;

ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

ग) ट्रेड यूनियनों, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन कामगारों आदि से संबंधित औद्योगिक कानून।

घ) खनन गतिविधियों से संबंधित निर्धारित अधिनियम;

ङ) वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, ईएसआईसी, मुआवजा, मातृत्व लाभ, श्रम कल्याण, आदि से संबंधित कंपनी द्वारा कंपनी के पेरोल पर या अनुबंध के आधार पर नियुक्त श्रमिक और कर्मचारियों से संबंधित श्रम कानून और अन्य प्रासंगिक कानून ;

च) पर्यावरण एवं संरक्षण के अंतर्गत निर्धारित अधिनियम;

छ) अनुबंधों, स्टैम्पों, प्रतियोगिताओं आदि से संबंधित व्यावसायिक कानून ;

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची के मुद्दों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

`हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं।

कृते सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-
सीएस सुशांत प्रधान
मोबाइल नं: 29239
सीपी नं : 14238
यूडीआईएन: A029239G000971598

स्थान : संबलपुर
दिनांक: 10.08.2025

इस रिपोर्ट को हमारे घटना तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक - ए

सेवा में,
सदस्यगण,
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड,
मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय, एमसीएल मुख्यालय, एमडीएफ कक्ष,
पोस्ट जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओड़िशा - 768020
भारत

इस पत्र के साथ उस तिथि की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखाबही की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-
सीएस सुशांत प्रधान
मोबाइल नं: 29239
सीपी नं : 14238
यूडीआईएन: A029239G000971598

स्थान : संबलपुर
दिनांक: 10.08.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पयणियॉं

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीजय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्ते वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्ती1य विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्त रदायित्वत है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने जानकारी दी है कि 28 मई 2025 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया है, जो उनकी 11 अप्रैल 2025 की पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

मैने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्ती वर्ष के वित्ती6य विवरण का पूरक लेखा परीक्षण न करने का निर्णय किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों के मद्देनजर, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए, धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मुझे और कुछ जोड़ने या कहने की आवश्यकता नहीं है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताख/-
(यशोधरा राय चौधरी)
महानिदेशक एवं एडीएआई
कोलकाता

स्थांन: कोलकाता
दिनांक: 03 जून, 2025

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2025 तक तुलन पत्र

(₹ लाख में)

तुलन पत्र		नोट नं.	दिनांक तक 31.03.2025	31.03.2024
संपत्ति				
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		3.1	0.71	9.96
प्रगति पर पूंजीगत कार्य		3.2	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ		3.3	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.4	28,508.54	28,692.33
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.5	2,712.92	2,619.62
वित्तीय पूंजी	निवेश	4.1	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		11.2	-	-
गैर-चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		11.1	-	-
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		6.1	8,923.58	9,276.31
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**40,145.76**	**40,598.22**
चालू परिसंपत्तियाँ				
इन्वेंट्री		5.1	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	निवेश	4.1	-	-
	व्यापार प्राप्तियाँ	4.3	673.31	1,367.51
	नकद और नकद समकक्ष	4.4	4,956.70	3,181.40
	अन्य बैंक शेष	4.5	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	7.54	6.12
चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		11.1	28.00	8.18
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		6.2	-	56.92
कुल चालू परिसंपत्तियाँ			**5,665.55**	**4,620.13**
कुल परिसंपत्तियाँ			**45,811.31**	**45,218.35**

इक्विटी और देयता

इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		7.1	9,000.50	9,000.50
पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के उपकरण			**29,250.00**	**29,250.00**
अन्य इक्विटी		7.2	(20.96)	(294.99)
कंपनी के इक्विटीधारकों को दी जाने वाली इक्विटी			**38,229.54**	**37,955.51**
गैर-नियंत्रक हित		7.3	-	-
कुल इक्विटी			38,229.54	37,955.51
देनदारियाँ				
गैर-वर्तमान देनदारियाँ				
वित्तीय देनदारियाँ	उधार	8.1	-	-
	पट्टा देयताएँ	8.2	-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	-	-
उधार		9.1	-	-
पट्टा देयताएँ		11.2	25.78	-
अन्य वित्तीय देयताएँ		10.1	-	-
कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ			25.78	-
वर्तमान देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-
	पट्टा देयताएँ	8.2	-	-
	व्यापार देयताएँ	8.3		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि; और		-	-
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		**949.48**	**155.32**
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8.4	**6,591.39**	**7,103.53**
अन्य चालू देयताएँ		10.2	15.12	4.00
प्रावधान		9.1	-	-
वर्तमान कर देयताएँ (शुद्ध)		11.1	-	-
कुल वर्तमान दायित्व			7,555.99	7,262.84
कुल शेयर और देनदारियां			45,811.31	45,218.35

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

संलग्न ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	
(एस. के. बेहरा)	**(बी. के. परिडा)**	**(एस. नायक)**	**मिश्रा बढाई एंड एसोसिएट्स के लिए**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
			फर्म पंजीकरण संख्या - 322053E

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(एस.के.सिन्हा)	**(केशव राव)**	**(सनदी लेखाकार एस मुखर्जी)**
निदेशक	अध्यक्ष	साझेदार
डीआईएन: 10368492	डीआईएन: 08651284	(सदस्यता संख्या 054940)

दिनांक: 11.04.2025

स्थान : संबलपुर

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ in lakhs)

लाभ और हानि का विवरण

	नोट नं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व (शुल्कों को छोड़कर)			
बिक्री	12.1	-	-
अन्य परिचालन राजस्व	12.1	2,415.94	2,093.08
परिचालन से राजस्व (शुल्कों को छोड़कर)		**2,415.94**	2,093.08
अन्य आय	12.2	300.88	109.82
कुल आय		**2,716.82**	**2,202.90**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	-	-
व्यापारिक स्टॉक की खरीद	13.1(a)	-	-
"तैयार माल, व्यापारिक स्टॉक और प्रगति पर काम की सूची में परिवर्तन"	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	112.78	146.27
संविदात्मक व्यय	13.4	339.67	822.86
अन्य व्यय	13.5	1,014.71	1,200.31
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	-	-
संविदात्मक व्यय	13.7	10.51	17.65
अन्य व्यय	13.8	939.34	173.92
कुल व्यय		**2,417.00**	**2,361.01**
संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि के हिस्से से पहले का लाभ		**299.82**	**(158.11)**
संयुक्त उद्यम लाभ/(हानि) का हिस्सा		-	-
कर से पहले का लाभ		**299.82**	**(158.11)**
कर व्यय	14.1		
वर्तमान कर		-	-
स्थगित कर		25.78	-
कुल कर व्यय		25.78	-
अवधि के लिए लाभ		**274.04**	**(158.11)**

अन्य व्यापक आय	15.1		
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		-	-
कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)		**274.04**	**(158.11)**
लाभ का श्रेय:			
कंपनी के मालिकों को		274.04	(158.11)
गैर-नियंत्रक हित को		-	-
		274.04	(158.11)
अन्य व्यापक आय जो निम्न से संबंधित है:			
कंपनी के मालिक			
गैर-नियंत्रक हित			-
			-
कुल व्यापक आय जिसके कारण:			-
कंपनी के मालिक		274.04	
गैर-नियंत्रक हित		-	(158.11)
		274.04	-
इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक):			(158.11)
मूल		0.30	(0.18)
पतला		0.30	(0.18)

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल की ओर से — संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह/-
(एस. के. बेहरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(बी. के. परिदा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. नायक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
मिश्रा बढाई एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या - 322053E

ह/-
(एस.के.सिन्हा)
निदेशक
डीआईएन: 10368492

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08651284

ह/-
(सीए सुशील कुमार बढ़ई)
साझेदार
(सदस्यता संख्या 054940)

दिनांक: 11.04.2025
स्थान : संबलपुर

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(₹ लाख में)

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2025 तक

विवरण	शेष राशि 01-04-2024 तक	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि 31.03.2025 तक
10/- प्रत्येक के 90005000 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर	9,000.50		9,000.50
31.03.2024 तक			
विवरण	**शेष राशि 01-04-2023 तक**	**वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**शेष राशि 31.03.2024 तक**
10/- प्रत्येक के 90005000 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर	9,000.50		9,000.50

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	भंडार और अधिशेष				विदेशी सहायक कंपनी (ओसीआई) के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	कुल
	पूंजी मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद शुद्ध)		
01.04.2024 तक शेष राशि	**-**	**-**	**(294.99)**	**-**	**-**	**(294.99)**
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2024 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	**(294.99)**	-	-	**(294.99)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	**274.04**	-		**274.04**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-		-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	-	-	-		-
शेयरों की पुनः खरीद	-	-	-	-		-
बायबैक पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-		-
31.03.2025 तक शेष राशि	**-**	**-**	**(20.95)**	-	-	(20.95)

विवरण	भंडार और अधिशेष				विदेशी सहायक कंपनी (ओसीआई) के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	कुल
	पूंजी मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद शुद्ध)		
01.04.2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**(136.88)**	**-**	**-**	**(136.88)**
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	**-**	**-**	**(136.88)**	**-**	**-**	**(136.88)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			(158.11)	-		(158.11)
अंतरिम लाभांश			-			-
अंतिम लाभांश			-			-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण		-	-			-
शेयरों की पुनः खरीद						-
बायबैक पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना						-
31.03.2024 तक शेष राशि	**-**	**-**	**(294.99)**	**-**	**-**	**(294.99)**

लाभांश तथा आरक्षित निधियों एवं अधिशेष की प्रकृति एवं उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
(एस. के. बेहरा)	**(बी. के. परिदा)**	**(एस. नायक)**	**मिश्रा बढाई एंड एसोसिएट्स के लिए**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सनदी लेखाकार
			फर्म पंजीयन संख्या - 322053E

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(एस.के.सिन्हा)	**(केशव राव)**	**(सीए सुशील कुमार बढ़ई)**
निदेशक	अध्यक्ष	साझेदार
डीआईएन: 10368492	डीआईएन: 08651284	(सदस्यता संख्या 054940)

दिनांक: 11.04.2025

स्थान : संबलपुर

नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले का लाभ	299.82	(158.11)
इसके लिए समायोजन:		
संयुक्त उद्यम का हिस्सा	-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय	1,014.71	1,200.31
ब्याज और लाभांश आय	(300.88)	(109.79)
वित्तीय लागत	339.67	822.86
(लाभ)/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	-	-
देयता और प्रावधान (शुद्ध)	-	-
व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	-	-
अन्य भत्ते और बट्टे खाते में डालना	5.48	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
विदेशी विनिमय दर में भिन्नता	-	-
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**1,358.81**	**1,755.27**
इसके लिए समायोजन:		
व्यापारिक प्राप्य	694.20	(1,367.51)
इन्वेंट्री	-	-
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ	412.13	(57.78)
वित्तीय और अन्य देयताएँ	(840.69)	3,847.47
व्यापारिक देयताएँ	**794.16**	**125.37**
परिचालन से उत्पन्न नकदी	**2,418.60**	**4,302.82**
आयकर (भुगतान किया गया)	**(19.82)**	**(7.60)**
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह	2,398.78	4,295.22
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों के लिए भुगतान	(920.46)	(1,286.59)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से बिक्री आय	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति में वृद्धि	-	-
बैंक जमा से आय/(निवेश)	-	-
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि से आय/(निवेश)	**-**	**-**
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान	-	-
निवेश से ब्याज	**296.98**	**107.00**
म्यूचुअल फंड से प्राप्त ब्याज/लाभांश	**-**	**-**
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश		
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**(623.48)**	**(1,179.59)**

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह

गैर-चालू उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती)		-	-
चालू उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती)			
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)		-	-
भुगतान किया गया ब्याज		-	-
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(C)	-	-
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (ए+बी+सी)		1,775.30	3,115.61
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य		3,181.40	65.78
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य		4,956.70	3,181.39
नकदी और नकदी समकक्षों का समाधान (नोट 4.4 देखें)			
नकद और नकद समकक्ष (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)		4,956.70	3,181.40
नकदी और नकदी समकक्षों के घटक			
(क) बैंकों के पास शेष राशि			
- जमा खातों में		4,954.51	3,178.03
- चालू खातों में		2.19	3.37
- ब्याज देने वाले (सीएलटीडी खाता आदि)			
- ब्याज न देने वाले			
- नकद ऋण खातों में			
(बी) भारत के बाहर बैंक बैलेंस		-	-
(सी) प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी		-	-
(डी) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प		-	-
(ई) शेष नकदी		-	-
(एफ) भारत के बाहर हाथ में नकदी		-	-
(एफ) बैंक ओवरड्राफ्ट		-	-
(जी) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जीईएम खाता/इम्प्रेस्ट बैलेंस		-	-
कुल (नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें)		4,956.70	3,181.40

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-चालू उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2024 तक प्रारंभिक शेष राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:			-
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेन-देन लागत	-		
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	-	-	-

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-चालू उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि		-	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:			-
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेन-देन लागत	-		
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	-	-	-

* गैर-वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, नोट 8.1 देखें

2 उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखा मानक 7 - 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(एस. के. बेहरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(बी. के. परिडा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. नायक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
मिश्रा बढाई एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या - 322053E

ह/-
(एस.के.सिन्हा)
निदेशक
डीआईएन: 10368492

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
डीआईएन: 08651284

ह/-
(सीए सुशील कुमार बढ़ई)
साझेदार
(सदस्यता संख्या 054940)

दिनांक: 11.04.2025
स्थान : संबलपुर

वित्तीय विवरणी के लिए नोट

नोट 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि 1	साइट बहाली लागत	इमारत	संयंत्र और उपकरण	फ़निर्चर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	दूरसंचार	दूरसंचार	अन्य खनन संरचना	स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्तियाँ	सर्वेक्षण की गई संपत्तियां	रेल कॉरिडोर	सौर एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	कुल
सकल वहन राशि:																
1 अप्रैल, 2023 तक						32.96	-	5.38				-				38.34
जोड़						0.36		0.12								0.48
विलोपन/समायोजन								(0.59)								(0.59)
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	33.32	-	4.91	-	-	-	-	-	-	-	38.23
1 अप्रैल,2024 तक	-	-	-	-	-	33.32	-	4.91	-	-	-	-	-	-	-	38.23
जोड़						(0.00)		1.20								1.20
विलोपन/समायोजन						(30.99)		(2.61)								(33.60)
31 मार्च ,2025 तक	-	-	-	-	-	2.33	-	3.50	-	-	-	-	-	-	-	5.83
संचित मूल्यह्रास और परिशोधन																
1 अप्रैल, 2023 तक						19.78	-	2.21				-				21.99
वर्ष के लिए शुल्क						5.00		1.84								6.84
विलोपन/समायोजन								(0.56)								(0.56)
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	24.78	-	3.49	-	-	-	-	-	-	-	28.27
1 अप्रैल,2024 तक	-	-	-	-	-	24.78	-	3.49	-	-	-	-	-	-	-	28.27
अवधि के लिए शुल्क						0.18		1.16								1.34
विलोपन/समायोजन						(23.17)		(1.32)								(24.49)
31 मार्च ,2025 तक	-	-	-	-	-	1.79	-	3.32	-	-	-	-	-	-	-	5.12
संचित हानि																
1 अप्रैल, 2023 तक																-
वर्ष के लिए शुल्क																-
विलोपन/समायोजन																-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल,2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के लिए शुल्क																-
विलोपन/समायोजन																-
31 मार्च ,2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि																
31 मार्च ,2025 तक	-	-	-	-	-	0.54	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	0.71
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	8.54	-	1.42	-	-	-	-	-	-	-	9.96

1. कंपनी ने चालू वर्ष या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

वित्तीय विवरणी के लिए नोट

नोट 3.2: पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन अवसंरचना/विकास	रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
1 अप्रैल, 2023 तक				3,331.99	27,757.70			31,089.69
जोड़								-
पूंजीकरण/विलोपन				(3,331.99)	(27,757.70)			(31,089.69)
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल,2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़								-
पूंजीकरण/विलोपन				-	-			-
31 मार्च ,2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित हानि								
1 अप्रैल, 2023 तक								-
वर्ष के लिए शुल्क								-
विलोपन/समायोजन								-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल,2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क								-
विलोपन/समायोजन								-
31 मार्च ,2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च ,2025 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

					अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:					
1 अप्रैल, 2023 तक					
जोड़					
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विलोपन					
31 मार्च ,2024 तक					-
1 अप्रैल,2024 तक					-
जोड़					
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विलोपन					
31 मार्च ,2025 तक					-
संचित हानि					
1 अप्रैल, 2023 तक					
वर्ष के लिए शुल्क					
विलोपन/समायोजन					
31 मार्च ,2024 तक					-
1 अप्रैल,2024 तक					-
वर्ष के लिए शुल्क					
विलोपन/समायोजन					
31 मार्च ,2025 तक					-
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च ,2025 तक					-
31 मार्च ,2024 तक					-

नोट 3.4: अमूर्त संपत्तियां

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषणात्मक परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:					
1 अप्रैल, 2023 तक					-
जोड़			29,885.80		29,885.80
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	29,885.80	-	29,885.80
1 अप्रैल,2024 तक	-	-	29,885.80	-	29,885.80
जोड़			829.58		829.58
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2025 तक	-	-	30,715.38	-	30,715.38
संचित परिशोधन					
1 अप्रैल, 2023 तक					-
वर्ष के लिए शुल्क			1,193.47		1,193.47
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	1,193.47	-	1,193.47
1 अप्रैल,2024 तक	-	-	1,193.47	-	1,193.47
वर्ष के लिए शुल्क			1,013.37		1,013.37
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2025 तक	-	-	2,206.84	-	2,206.84
			0.00	0.00	0.00
संचित हानि					
1 अप्रैल, 2023 तक					-
वर्ष के लिए शुल्क					-
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-	-	-
1 अप्रैल,2024 तक	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-		-
विलोपन/समायोजन					-
31 मार्च ,2025 तक	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च ,2025 तक	-	-	28,508.53	-	28,508.54
31 मार्च ,2024 तक	-	-	28,692.33	-	28,692.33

1. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के मद्देनजर, रेल कॉरिडोर, जो कि पूंजीगत डब्ल्यूआईपी का हिस्सा था, को 2023-24 से अमूर्त संपत्ति माना गया है।

2. कंपनी ने 30 वर्ष की रियायत अवधि में परिसंपत्तियों का स्टेट लाइन आधार पर परिशोधन किया है। कंपनी समय-समय पर उपयोगी जीवन की समीक्षा करेगी।

नोट 3.5: विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

(₹ लाख में)

	विकासाधीन सॉफ्टवेयर	विकासाधीन रेल कॉरिडोर 1	कुल
वहन राशि:			
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-
जोड़	-	235.99	235.99
पूंजीकरण/विलोपन	-	2,383.63	2,383.63
31 मार्च ,2024 तक	-	2,619.62	2,619.62
1 अप्रैल,2024 तक	-	2,619.62	2,619.62
जोड़		93.30	93.30
पूंजीकरण/विलोपन			-
31 मार्च ,2025 तक	-	2,712.92	2,712.92
संचित हानि			
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-
विलोपन/समायोजन			-
31 मार्च ,2024 तक	-	-	-
1 अप्रैल,2024 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क			-
विलोपन/समायोजन			-
31 मार्च ,2025 तक	-	-	-
शुद्ध वहन राशि			
31 मार्च ,2025 तक	-	2,712.92	2,712.92
31 मार्च ,2024 तक	-	2,619.62	2,619.62

3.5.2. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची

	वर्तमान में विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
विकासाधीन रेल कॉरिडोर	93.30	235.99	-	2,383.63	2,712.92
कुल	93.30	235.99	-	2,383.63	2,712.92

	31-03-2024 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
ईआरपी विकासाधीन					-
विकासाधीन रेल कॉरिडोर	235.99		-	2,383.63	2,619.62
कुल	235.99	-	-	2,383.63	2,619.62

1. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के आधार पर, रेल कॉरिडोर, जो पूंजीगत कार्य प्रगति पर था, को 2023-24 से निर्माणाधीन अमूर्त संपत्ति माना गया है। तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी संपत्ति का वहन मूल्य, जो ₹1,000 करोड़ था, उससे स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर के रूप में विकासाधीन अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

2. रेल लाइन का निर्माण कार्य अभी लंबित नहीं है।

नोट - 4.1 : निवेश

(₹ लाख में)

	% होल्डिंग	1.03.2025 तक	1.03.2024 तक
गैर-चालू			
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)		-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)		-	-
कुल		-	-

चालू

	इकाई	एनएवी (₹)	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
म्यूचुअल फंड (अउद्धृत)				
कुल			-	-

4.1.1 उद्धृत/अउद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	अप्रचलित		चालू	
	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
अउद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश का कुल योग:	-	-	-	-
नवीनतम निवेश का कुल योग	-	-	-	-
निवेश के मूल्य में कुल हानि राशि:	-	-	-	-

नोट - 4.2 : ऋण

	1.03.2025 तक	1.03.2024 तक
गैर-चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	
- ऋण हानि	-	
	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
		-
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	
- ऋण हानि	-	
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.2.1	-	
		-
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति	-	-
कुल	-	-
चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- ऋण हानि	-	-
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.2.1	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- ऋण हानि	-	-
	-	-

घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
कुल	-	-

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष (चालू और गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - नोट 16 - (2) (viii) देखें

नोट - 4.3: व्यापार प्राप्तियां	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
सुरक्षित माना जाता है अच्छा	-	-
असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	673.31	1,367.51
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
ऋण हानि	-	-
	673.31	**1,367.51**
घटाव : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता 4.3.1	-	-
कुल	**673.31**	**1,367.51**

"4.3.1 कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के ऋण घाटे के लिए भत्ते का निर्धारण करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि भत्ते की गणना कर व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स पिछली ऋण हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ता देय प्राप्तियों की आयु और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	
इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	
अवधि के अंत में शेष	-	-

7. व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2025 तक

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
विवरण	अदेय बकाया	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है		673.31					673.31
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii)निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि							-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि							-
कुल		**673.31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**673.31**
अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)- %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

31.03.2024 तक

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
विवरण	अदेय बकाया	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
		1,367.51					1,367.51
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि							-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि		**1,367.51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,367.51**
कुल							-
अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता		0%	0%	0%	0%	0%	0%
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान)- %							

नोट - 4.4 : नकदी और नकदी समकक्ष	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बैंकों के पास शेष राशि		
-जमा खातों में	4,954.51	3,178.03
-चालू खातों में	2.19	3.37
भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी 4.4.1	-	-
चेक, ड्राफ्ट और टिकट हाथ में	-	-
नगद	-	-
भारत के बाहर नगद	-	-
अन्य 4.4.2	-	-
कुल	4,956.70	3,181.40

4.1नकदी और नकदी समतुल्य में उपलब्ध नगद, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

नोट - 4.5 : अन्य बैंक शेष	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बैंकों के पास शेष		
जमा खाते	-	-
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 4.5.1)		
कुल		

4.5.1"विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/चिह्नित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में - विशिष्ट प्रयोजनों और बैंक जमाराशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है, जमाराशियां शामिल हैं। - नोट 16 का पैरा 4(डी) देखें।

नोट - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा राशि	-	
घटाव : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां	-	
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा4.6.2	-	
	-	-
वित्त पट्टा प्राप्य 4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्य 4.6.5	-	
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1	-	
	-	-
कुल	-	-

चालू	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव:संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	-	-

मुख्यालय, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष	-	
घटाव: सहायक कंपनियों के पास संदिग्ध शेष राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
IICM का बकाया	-	-
अर्जित ब्याज	7.38	3.48
वित्त पट्टा प्राप्य 5	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	0.15	2.64
घटाव : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	0.15	**2.64**
कुल	**7.54**	**6.12**

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण		
वर्ष की शुरुआत में शेष	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-

4.6.4 पट्टा

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	-	-

(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

परिचालन लीज़

(iii) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय लीज़ भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है	-	-
कुल	-	-

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम राशि तथा शेष वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बिना छूट वाला पट्टा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

(v) 31.03.2025 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में निवल वहन मूल्य**	**वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि**	**वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन**	**वर्ष के समापन पर निवल वहन मूल्य**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन**
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) दिनांक 31.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में निवल वहन मूल्य**	**वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि**	**वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन**	**वर्ष के समापन पर निवल वहन मूल्य**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन**
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

4.6.6 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 5.1 : माल	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
तैयार माल	-	
विकास परियोजनाओं में माल	-	-
घटाव: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
भंडार, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंटरी (निवल) 5.1.3	-	-
घटाव: धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलती और अप्रचलित इन्वेंट्री के लिए प्रावधान		
	-	-
कुल	-	-

5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में परिवर्तन का ब्यौरा

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

"5.1.2 स्टोर और स्पेयर की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, अचल और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। इन वस्तुओं के लिए कंपनी की नीति के अनुसार प्रावधानों को मान्यता दी जाती है।

धीमी गति से चलने वाले,अचल और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर और अन्य इन्वेंट्री के लिए प्रावधानों में संचालन का विवरण:"

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		
अवधि के दौरान उपयोग की गई		
अवधि के अंत में शेष	-	-

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

टिप्पणी - 6.1: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
पूंजीगत अग्रिम	8,915.77	9,267.89
घटाव : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता6.1.1	-	-
	8,915.77	**9,267.89**
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	7.81	8.42
घटाएँ : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता6.1.1	-	-
	7.81	8.42
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	**8,923.58**	**9,276.31**

6.1.1 खराब और संदिग्ध जमा और प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में आंदोलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	
घटाएँ: संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता6.2.1	-	
	-	-
अन्य जमा और अग्रिम6.2.2 और 6.2.3	-	-
घटाव : संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता6.2.1	-	-
	-	
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य6.2.4	-	56.92
कुल	**-**	**56.92**

6.2.1 खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों तथा जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

नोट - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी		
""""90005000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए (P.Y.90005000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए) "	9,000.50	9,000.50
कुल	**9,000.50**	**9,000.50**
: पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के उपकरण		
इक्विटी अंशदान के लिए ब्याज मुक्त ऋण	**29,250.00**	**29,250.00**
(एमसीएल: रु. 20800 लाख और इरकॉन रु. 8450 लाख)		
कुल	**29,250.00**	**29,250.00**

7.1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में रखे गए शेयर

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	64000000	71.107	0.000	100.00	0.00%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामिती	26000000	28.887	0.000	100.00	0.00%

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

विवरण	**शेयर की संख्या**	**राशि**
31.03.2019 को शेष राशि	50,000	5,00,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष राशि	50,000	5,00,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष राशि	50,000	5,00,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	8,99,55,000	89,95,50,000.00
31.03.2022 को शेष राशि	9,00,05,000	90,00,50,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	9,00,05,000	90,00,50,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि		
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन		
31.03.2025 तक शेष राशि	9,00,05,000	90,00,50,000.00

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

टिप्पणी - 7.2 : अन्य इक्विटी

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
पूंजी मोचन रिजर्व	-	-
पूंजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-
प्रतिधारित आय	(20.96)	(294.99)
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**(20.96)**	**(294.99)**

(क) पूंजी मोचन रिजर्व

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान जोड़	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) पूंजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	"मूल्य"	वर्ष
इक्विटी शेयर की पुनर्खरीद		
कुल	0	

(ख) पूंजी रिजर्व

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(ग) सामान्य रिजर्व

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
सामान्य रिज़र्व में/से स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

सामान्य रिज़र्व एक मुक्त रिज़र्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) प्रतिधारित आय

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(294.99)	(136.88)
अवधि के लिए लाभ	274.04	(158.11)
अंतरिम लाभांश	-	-
अंतिम लाभांश	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	(20.96)	(294.99)

(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा(i)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-
कुल (घ(i) + (ii))	(20.96)	(294.99)

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) (कर के बाद शुद्ध)शामिल है

(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का अब तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की गई है।

(ड़) अन्य व्यापक आय की मदें

(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बाह्य परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण पर विनिमय मतभेद		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

टिप्पणी - 8.1 : उधार	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से 8.1.1 और 8.1.2		
सुरक्षित	-	
असुरक्षित	-	-
अन्य से8.1.3		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
	-	-
चालू		
बैंक से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता 8.1.1	-	-
	-	-

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं

गैर - चालू	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि		
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत		
पट्टा देनदारियों का भुगतान		
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	
पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-वर्तमान और चालू):

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
"1 वर्ष तक		
1-5 वर्ष		
5 वर्ष से अधिक"		

8.2.2 31.03.2025 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के दौरान वृद्धि**	**अवधि के दौरान विलोपन**	**अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि					
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़निर्चर व फिक्सचर					
वाहनें					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
संपत्ति के उपयोग का अधिकार					

31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के दौरान वृद्धि**	**अवधि के दौरान विलोपन**	**अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य**	**अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन**
भूमि					
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़निर्चर व फिक्सचर					
वाहनें					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
संपत्ति के उपयोग का अधिकार					

पट्टे की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें कई तरह के अलग-अलग नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि जब तक कंपनी के पास संपत्ति को किसी अन्य पक्ष को उप-पट्टे पर देने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टे को बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य के पट्टों के लिए किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	-	-

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह का खुलासा

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी		

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	949.48	155.32
कुल	**949.48**	**155.32**

8.3.1 व्यापार देयताएं आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2025 तक

		लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	बिल न किया गया बकाया	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई						-
ii) अन्य	938.76	2.51	8.21			949.48
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई						-
iv) विवादित बकाया -अन्य						-
v) बिल न किया गया बकाया						-
कुल	**938.76**	**2.51**	**8.21**	**-**	**-**	**949.48**

31.03.2024 तक

		लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	बिल न किया गया बकाया	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई	155.32	-				155.32
ii) अन्य						-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई						-
iv) विवादित बकाया -अन्य						-
v) बिल न किया गया बकाया		-	-	-	-	155.32
कुल						

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
गैर-चालू		
ठेकेदारों और अन्य लोगों से जमा राशि	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाता	5,438.46	5,047.37
इरकॉन का चालू खाता	722.07	632.03
ठेकेदारों और अन्य लोगों से जमा राशि	1.58	-
बयाना राशि	0.60	0.60
पूंजीगत व्यय के लिए देय	-	334.55
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	114.44	12.82
अन्य8.4.2 और 8.4.3	314.25	1,076.15
कुल	**6,591.39**	**7,103.53**

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
एक्स-ग्रेसिया	-	-
प्रदर्शन से संबंधित वेतन	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ9.1.4	-	-
	-	-
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	अवधि के दौरान प्रभारित	अवधि के दौरान उपयोग किया गया	अवधि के अंत में शेष राशि
अनुग्रह राशि	-	-	-	0.00
कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन	-	-	-	0.00
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	0.00
अन्य	-	-	-	0.00

टिप्पणी - 10.1 : अन्य गैर चालू देयताएं	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य	-	
कुल	-	-

टिप्पणी - 10.2 : अन्य चालू देयताएं	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
वैधानिक बकाया	15.12	4.00
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम राशि	-	
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य देयताएँ2	-	-
कुल	**15.12**	**4.00**

10.2.1 प्रबंधन यह अनुमान लगाता है कि वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई देनदारियों के अलावा ब्याज सहित कोई अतिरिक्त भविष्य की देनदारियां उत्पन्न नहीं होंगी।

टिप्पणी - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

		31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
आयकर संपत्तियाँ			
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		8.18	0.58
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		28.01	8.18
अवधि के दौरान उलटफेर/वापसी		(8.19)	(0.58)
अवधि के समापन पर शेष राशि		28.00	8.18
आयकर देयताएँ			
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	(14.1 और 15.1 देखें)	-	-
अवधि के दौरान उलटफेर/समायोजन		-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि		-	
अंत में निवल आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं) के अनुसार घोषणा :		**28.00**	**8.18**

गैर चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	-	-
आयकर देयताएं (निवल)	-	-
चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	28.00	8.18
आयकर देयताएं (निवल)	-	-
	28.00	**8.18**

टिप्पणी - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2024 तक शेष राशि	**अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/ (उलट)**	**अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त**	**31.03.2025 तक शेष राशि**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
संदिग्ध अग्रिम, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान				-
कर्मचारी लाभ				-
अन्य		-		-
(क) का योग	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित	-	2,787.50	-	2,787.50
अन्य	-	(2,761.72)	-	(2,761.72)
(ख) का योग	-	25.78	-	25.78
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (ग= क-ख)	-	(25.78)	-	(25.78)
"घ. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	-			-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (ङ =ग+घ)	-	(25.78)	-	(25.78)

के अनुसार घोषणा :	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-	-
आस्थगित कर देयता	25.78	-
	(25.78)	-

(₹ लाख में)

टिप्पणी - 12.1 : संचालन से राजस्व	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
विक्रय		
विक्रय	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
विक्रय (शुद्ध) (ए) 12.1.1, 12.1.2 और 12.1.3	-	-
ख. अन्य संचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	-	-
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क		
घटाव: वैधानिक लेवी		
	-	-
सेवाओं से राजस्व4	**2,415.94**	**2,093.08**
घटाव: वैधानिक लेवी	-	-
	2,415.94	2,093.08
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (ख)	2,415.94	2,093.08
संचालन से राजस्व (क+ख)	2,415.94	2,093.08

1.रेलवे से प्राप्त होने पर उपयोगकर्ता शुल्क को मान्यता दे दी गई है तथा इसमें पिछली अवधि की उपलब्ध जानकारी के आधार पर 2 महीने के लिए अनुमान शामिल किया गया है तथा इसमें महत्वपूर्ण उलटफेर का कोई संकेत नहीं है।

टिप्पणी- 12.2 : अन्य आय	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय12.2.1	300.88	109.79
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
परिसंपत्ति की विक्रय पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ	-	-
पट्टा किराया12.2.2	-	-
प्रावधान वापस लिखा गया12.2.2	-	-
दायित्व वापस लिखा गया	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
विविध आय12.2.3		-
कुल	300.88	109.82

12.2.1 आयकर रिफ़ंड पर ब्याज शामिल है ₹ 0.33 लाख (पिछले वर्ष ₹0.02 लाख)

12.2.2 वापस लिखे गए प्रावधान का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए गए ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

टिप्पणी 13.1: सामग्री खपत की लागत	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
विस्फोटक	-	
लकड़ी	-	
तेल और लुब्रिकेंट	-	
एचईएमएम पुर्जे	-	
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	-	
कुल	-	-

नोट - 13.1(ए) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

टिप्पणी 13.2: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
कोयले की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	-	
	-	-
कार्यशाला और प्रेस जॉब्स की इन्वेंट्री में बदलाव		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
वर्ष के अंत में स्टॉक	-	
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
वेतन एवं मजदूरी13.3.1 & 13.3.2	112.78	146.27
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	**112.78**	**146.27**

टिप्पणी 13.4 : वित्तीय लागत	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
छूट की समाप्ति	-	
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत13.4.1	339.67	822.86
कुल	**339.67**	**822.86**

टिप्पणी - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	1.34	6.84
प्रगति में पूंजीगत कार्य (नोट 3.2)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.4)	1,013.37	1,193.47
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
	1,014.71	1,200.31
घटाव :		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय में स्थानांतरित	-	
कुल	**1,014.71**	**1,200.31**

वर्ष के दौरान कंपनी ने तकनीकी रूप से संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी कार्यकाल का मूल्यांकन और समीक्षा की है। लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन में ₹ 0.00 की वृद्धि (कमी) हुई है। भविष्य की अवधि में प्रभाव की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि इसका अनुमान लगाना अव्यवहारिक है।

13.6.1 अग्रिम स्ट्रिपिंग से तात्पर्य उस अवधि के दौरान अतिरिक्त भार हटाने से है जो उस अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अग्रिम स्ट्रिपिंग को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिससे किसी परियोजना (खदान) में कोयले तक पहुँच में सुधार होता है।

टिप्पणी - 13.7: संविदागत व्यय	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	-	
वैगन लोडिंग	-	
प्लांट और उपकरणों को किराए पर लेना	-	
अन्य संविदात्मक कार्य	10.51	17.65
कुल	10.51	17.65

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली खर्च	6.47	10.15
मरम्मत और रखरखाव		
-बिल्डिंग	-	-
-प्लांट और उपकरण	-	-
-अन्य (रेलवे परिसंपत्तियों का रखरखाव)	892.77	130.80
यात्रा खर्च	-	0.34
प्रशिक्षण खर्च	-	-
टेलीफोन और इंटरनेट	0.10	0.49
विज्ञापन और प्रचार	-	-
माल ढुलाई शुल्क	-	-
विलंब	-	-
अंडर लोडिंग शुल्क	-	-
कोयला नमूनाकरण शुल्क	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-
कानूनी खर्च	-	-
सीआईएल के सेवा शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क	1.74	2.77
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	-	-
संपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	-
ऑडिटर का पारिश्रमिक और व्यय		
ऑडिट फीस के लिए	1.00	0.71
कर मामलों के लिए	0.30	-
अन्य सेवाओं के लिए	0.71	0.53
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	1.00	0.47
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	0.57	0.47
पुनर्वास शुल्क	-	-
लीज़ किराया और किराये पर लेने के शुल्क1	17.57	12.57
दरें और कर	-	-
बीमा	-	-
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	-
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	-
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय13.4.2	-	-
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	-
प्रावधान13.4.1	-	-
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों के बट्टे खाते में डालने के बाद)	5.48	-
विविध व्यय	11.63	14.61
कुल	**939.34**	**173.92**

13.4.1 प्रावधानों का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

टिप्पणी - 14.1 : कर व्यय	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
चालू वर्ष	-	
पिछले वर्ष	-	-
कुल चालू कर	-	-
आस्थगित कर	25.78	
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	
कुल	25.78	-

14.1.1 कर व्यय का समाधान:

कर से पहले लाभ/(हानि)	299.82	(158.11)
आयकर दर 25.168% (31.03.2024: 25.168%) पर	75.46	-
घटाएँ: छूट प्राप्त आय पर कर		
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	(75.46)	-
MAT प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	-	-
प्रभावी आयकर दर:	0.00%	0.00%

टिप्पणी - 15.1 : अन्य व्यापक आय	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन1	-	
	-	-
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	
	-	-
मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	
"विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण में विनिमय भिन्नता "	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	-	-
कुल	-	-

नोट - 16: 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1 a) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01-04-2024 तक प्रारम्भिक शेष					-
वर्ष के दौरान योग					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से					-
ख. वर्ष के दौरान योग से					-
31.03.2025 को समापन					-

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	अन्य	कुल
दिनांक 01-04-2023 तक प्रारम्भिक शेष					-
वर्ष के दौरान योग					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से					-
ख. वर्ष के दौरान योग से					-
31.03.2024 को समापन					-

आकस्मिक देयता

क्र.	विवरण	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 31.03.2024 तक
1	**केन्द्रीय सरकार**		
	आय कर		
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
	केंद्रीय विक्रय कर		
	सेवा कर		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप-योग		
2	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरण मंजूरी		
	विक्रय कर/वैट		
	प्रवेश कर		
	विद्युत शुल्क		
	अन्य		
	उप-योग		
3	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**		
	मध्यस्थता कार्यवाही		
	कंपनी के अधीन मुक़दमेबाज़ी के विरुद्ध मुकदमा		
	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप-योग		
4	**अन्य: (यदि कोई हो)**		
	विविध - भूमि एवं अन्य		
	कर्मचारी संबंधित और आदि		
	उप-योग		
	कुल योग		

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2025 तक जारी बैंक गारंटी ₹ 0.00 लाख पूर्व वर्ष ₹0.00 लाख) है।

III. साख पत्र

31.03.2025 तक बकाया साख पत्र शून्य (पूर्व वर्ष शून्य) है।

b) प्रतिबद्धताएँ

31.03.2025 तक शून्य

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

क) समूह की जानकारी

i) प्रमोटर कंपनियाँ

क्रं.सं	इकाई का नाम	मुख्य गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इक्विटी ब्याज दिनांक 31.03.2025 तक	% इक्विटी ब्याज दिनांक 31.03.2024 तक
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	71.107	71.107
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	रेल अवसंरचना और परामर्श	भारत	28.887	28.887

बकाया शेष राशि और समाप्त अवधि के लिए लेनदेन

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों की बिक्री	अन्य (ठेकेदारों से रोका गया)	चालू खाता शेष देय राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड					-	5,438.46
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड					304.81	722.07
कुल वर्तमान अवधि	-	-	-	-	**304.81**	**6,160.53**

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री केशव राव	अध्यक्ष	01.11.2023
श्री ए.के. बेहुरा	निदेशक	01.11.2023
श्री एस.के. सिन्हा	निदेशक	21.07.2023
श्री एस.के. सेठी	निदेशक	01.11.2023
श्रीमती रागिनी आडवाणी	निदेशक	21.07.2022
श्री पराग वर्मा	निदेशक	21.07.2023
श्री प्रियरंजन पाढी	निदेशक	09.05.2022
श्री एस नायक	सीईओ	05.12.2021
श्री बी.के. परिडा	सीएफ़ओ	01.04.2022
श्री एस.के. बेहरा	कंपनी सचिव	28.06.2022

iv)प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र.	**सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान**	**दिनांक 31.03.2025 तक**	**दिनांक 31.03.2024 तक**
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
a.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	6.30	7.15
b.	स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस	-	-
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ	-	-
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		
iv)	समाप्ति लाभ		
v)	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल	**6.30**	**7.15**

नोट:

V) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया राशि का संतुलन (₹ लाख में)

क्र.	**विवरण**	**दिनांक 31.03.2025 तक**	**दिनांक 31.03.2024 तक**
i)	देय राशि		
ii)	प्राप्य राशि		

VI) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मो या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

3 अन्य

a) अधिकृत पूंजी (₹ लाख में)

	दिनांक 31.03.2025 तक	**दिनांक 31.03.2024 तक**
₹ 10/- प्रत्येक के 100000000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता	10000	10000

4 उचित मूल्य माप

(a) वर्गवार वित्तीय साधन (₹ लाख में)

	31-03-2025		**31-03-2024**	
	एफ़वीटीपीएल	**परिशोधित लागत**	**एफ़वीटीपीएल**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :		-		
सुरक्षित बॉन्ड		-		
म्यूचुअल फंड/आईसीडी		-		
ऋण		-		

जमा एवं प्राप्य	7.54	6.12
व्यापार प्राप्य*	673.31	1,367.51
नगद एवं नगद समतुल्य	4,956.70	3,181.40
वित्तीय देयताऐं		
उधार	-	-
व्यापार देय	949.48	155.32
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	2.18	0.60
पट्टा देयताएं	-	-
अन्य देयताऐं	6,589.21	7,102.93

(b) उचित मूल्य अनुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (a) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (b) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों की घोषणा की जाती है । उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया	31.03.2025		31.03.2024	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके उचित मूल्य 31.03.2025 को प्रकट किए गए हैं	31.03.2025		31.03.2024	
	Level 1	Level 3	Level 1	Level 3
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :		-		
सुरक्षित बॉन्ड		-		
ऋण		-		
जमा एवं प्राप्य		7.54		6.12
व्यापार प्राप्य*		673.31		1,367.51
नगद एवं नगद समतुल्य		4,956.70		3,181.40

वित्तीय देयताऐं

उधार	-	-
व्यापार देय	949.48	155.32
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि	2.18	0.60
पट्टा देयताएं	-	-
अन्य देयताऐं	6,589.21	7,102.93

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं तो साधन को शामिल किया जाता है

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

(c) उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(e) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के कार्य निशादन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोके रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

(5) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों

के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण ।
नगदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं।
बाजार जोखिम-विदेशी विनिमय	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।			

A. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी शर्तों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

B. नगदी जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएँ शामिल हैं) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन के साथ, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

6 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (इंड एएस-19)
कर्मचारियों को एमसीएल से प्रतिनियुक्त किया जाता है, वेतन मूल कंपनी द्वारा दिया जाता है और आवश्यक डेबिट कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है।

7) अन्य सूचना

(a) खंड रिपोर्टिंग

समूह का मुख्य व्यवसाय रेल लाइनों का विकास और भारतीय रेलवे व संबंधित सेवाओं से उपयोगकर्ता शुल्क नामक विभाजित माल ढुलाई अर्जित करना है। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इसलिए, समूह के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

(b) प्रति शेयर आय

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के बाद शुद्ध लाभ ₹ लाख में	274.04	-158.11
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	90005000	90005000
iii)	कर के बाद शुद्ध लाभ को ध्यान में रखते हुए रुपये में प्रति शेयर मूल और तनु आय (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	` 0.30	(` 0.18)

(c) बीमा और वृद्धि दावे

बीमा और वृद्धि दावों का लेखा प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

(d) चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि।

व्यवसाय के सामान्य क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य उस राशि से कम नहीं होगा जिस पर उन्हें बैलेंस शीट में दर्शाया गया है।

(e) शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों व वित्तीय संस्थानों से लिए गए उधारों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी समय-समय पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा, और इससे परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

f) बेनामी संपत्ति:

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

g) बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा भरे गए रिटर्न या विवरण:

कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न/वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण आम तौर पर लेखा पुस्तकों के अनुरूप होता है।

h) जानबूझकर चूककर्ता:

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

i) हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी ने हटाई गई कंपनियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

j) कंपनी रजिस्ट्रार के पास शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि:

कंपनी द्वारा वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है।

k) कंपनियों की कई परतों का अनुपालन:

कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

m) व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई।

n) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग:

(ए) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी संस्था (मध्यस्थ) को कोई निधि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं की है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा।

(बी) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी संस्था से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी।

o) क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

p) अघोषित आय:

कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(g) अनुपात

विवरण	For the Year ended 31.03. 2025	For the year ended 31.03. 2024	Vari-ance	Reason for variance beyond 25%
(क) चालू अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने संबंधी निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	0.7498	0.6361	18%	
(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात किसी कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। ये दोनों संख्याएँ कंपनी की बैलेंस शीट में पाई जा सकती हैं। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।	0.0002	0.0002	0%	
"""(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन जैसे गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन की चुकौती ""कर के बाद शुद्ध लाभ"" का अर्थ है ""अवधि के लिए लाभ / (हानि)"" की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की मदें शामिल नहीं हैं।"	4.7941	2.2666	112%	This has resulted due to increase in profit and decrease in borrowing cost
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात: यह कंपनी में निवेशित इक्विटी फंडों की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ने इक्विटी धारकों के फंडों की लाभप्रदता का किस प्रकार उपयोग किया है। यह इक्विटी धारकों को प्राप्त प्रतिशत प्रतिफल को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ में से वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) घटाकर) को औसत शेयरधारक इक्विटी से विभाजित किया जाता है।	0.0072	-0.0068	-207%	Profit in current year increased over last year's loss
"""(ई) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात भी कहा जाता है और यह किसी अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत और उस अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ कोई कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) होती है। जब इन्वेंट्री के आरंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष से COGS या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है।"	-	-	0%	

"(च) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिससे फर्म प्राप्य राशियों का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध ऋण बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध ऋण बिक्री में सकल ऋण बिक्री में से बिक्री प्रतिफल घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + अंतिम शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की ऋण बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम शेष राशि की जानकारी उपलब्ध न हो, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्य राशियों के अंतिम शेष से विभाजित करके की जा सकती है।"	2.37	3.06	-23%	
"छ) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात: यह दर्शाता है कि किसी अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए की जाती है। इसकी गणना शुद्ध ऋण खरीद को औसत लेनदारों से विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = शुद्ध ऋण खरीद / औसत व्यापार देय शुद्ध ऋण खरीद में सकल ऋण खरीद में से क्रय प्रतिफल घटाया जाता है। जब ऋण खरीद, व्यापार लेनदारों के आरंभिक और अंतिम शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के अंतिम शेष से विभाजित करके की जाती है।."	1.71	2.07	-17%	
"(ज) शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात: यह कंपनी की कार्यशील पूँजी के उपयोग में उसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूँजी कारोबार अनुपात की गणना निम्न प्रकार से की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूँजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूँजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूँजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री प्रतिफल घटाकर की जाएगी। कार्यशील पूँजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।"	-1.28	-0.79	61%	Revenue from operations increased compared to last year.
"""(i) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री प्रतिफल घटाकर की जाएगी।"""	0.1134	-0.0755	-250%	Net profit and revenue from operations increased.
"""(j) नियोजित पूँजी पर प्रतिफल: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल, कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों, दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना ऊँचा होगा, कंपनी द्वारा प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूँजी का उपयोग किया जाएगा। ROCE = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूँजी नियोजित पूँजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता"""	0.0909	0.1001	-9%	
(k) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (ROI) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।				
i) गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: उप-कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/ औसत निवेश।	0	0	0%	
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर ROI: ROI = प्राप्त लाभांश / संयुक्त उद्यम की इक्विटी में औसत निवेश	0	0	0%	
(iii) निश्चित आय निवेश (बॉन्ड/डिबेंचर आदि) पर ROI = ब्याज आय/ औसत निवेश	0	0	0%	
(iv) म्यूचुअल फंड पर ROI = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	0	0	0%	
(v) जमा पर ROI (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित ICDs के साथ) = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0739	0.0676	9%	

8 विविध जानकारी

i. वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू हालिया लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में कई संशोधन जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले विभिन्न भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। इन संशोधनों में इंड एएस 117 - इंड एएस 101, 103, 105, 107, 109, 115 में परिणामी संशोधनों के साथ बीमा अनुबंधों की शुरूआत; इंड एएस 116 - कुछ बीमा कंपनियों के लिए लीज़ और इंड एएस 104 की निरंतरता में संशोधन शामिल हैं। कंपनी ने इन संशोधनों का मूल्यांकन किया है और पाया है कि इनके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

ii. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

iii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और सामग्री लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और 12 से 13 लाभ और हानि विवरण का हिस्सा हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट 1 से 16 तक हस्ताक्षर

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल की ओर से

ह/- (एस. के. बेहेरा) कंपनी सचिव	ह/- (बी. के. परिडा) मुख्य वित्तीय अधिकारी	ह/- (एस. नायक) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मिश्रा बढ़ई एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या - 322053E

ह/- (एस.के.सिन्हा) निदेशक डीआईएन: 10368492	ह/- (केशव राव) अध्यक्ष डीआईएन: 08651284	ह/- (सीए सुशील कुमार बढ़ई) साझेदार (सदस्यता संख्या 054940)

दिनांक: 11.04.2025
स्थान : संबलपुर

MCRL

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय:

जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर,ओड़िशा-768020